झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट)-सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 12 फाल्गुन, 1941(श)
.... को
02 मार्च, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01-	ग0-04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	ई निविदा पुनः बहाल करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	22/02/20
02-	ग0-15	श्री कमलेश कु0 सिंह	अनुमंडलीय उपकारा का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	24/02/20
03-	का0-04	श्री विनोद कु0 सिंह	N.P.R को स्थापित कराना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।	20/02/20
04-	ग0-05	सुश्री अम्बा प्रसाद	जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
05-	म0-01	श्री सरयू राय	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी।	20/02/20

06-	ग0-10	श्री लम्बोदर महतो	राशि का वितरण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
07-	ग0-14	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	23/02/20
08-	वाणि0-01	श्री सरयू राय	अधिकारियों पर कार्रवाई।	वाणिज्यकर	20/02/20
09-	वोवि0-02	श्री लम्बोदर महतो	बैंक शाखा खोलना।	योजना सह वित्त	23/02/20
10*	का0-01	श्री मथुरा प्र0 महतो	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19/02/20
11-	का0-08	श्री राजेश कच्छप	जाति प्रमाण पत्र बनवाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23/02/20
12-	ग0-02	सुश्री अम्बा प्रसाद	न्यायिक जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	22/02/20
13-	ग0-01	श्री मथुरा प्र0 महतो	प्रशिक्षण देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	19/02/20
14-	का0-07	श्री उमा शंकर अकेला	व्यवहार न्यायालय प्रारंभ करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23/02/20
15-	का0-05	श्री विनोद कुमार सिंह	स्थानीय नीति में सुधार।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20/02/20
16-	का0-10	श्री अनन्त कु0 ओझा	अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24/02/20
17-	ग0-03	श्री अमित कु0 मंडल	सुरक्षा प्रदान करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	22/02/20

कृ0पृ0उ0-

18-	ग0-06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	नियमित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन।	20/02/20
19-	का0-06	श्री सुदिव्य कुमार	प्रमाण पत्र जारी करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	20/02/20
20-	योवि0-01	श्री अमित कु0 मंडल	योजनाओं को प्रारंभ करना।	योजना सह वित्त	20/02/20

नोट :- * ज्ञापांक- 11/वि0स0- 06-16/2016 का0- 1368/राँची, दिनांक- 20 फरवरी, 2020 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।

राँची

दिनांक- 02 मार्च, 2020(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.........403.........../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2020
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.........403.........../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अवर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/2020
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- संख्या-प्रश्न-02/2020.........403.........../वि0स0, राँची, दिनांक- 27/02/2020

प्रति :- कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/2020
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

27/02

(1)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्र सं०–2569 / जेल, दिनांक–19.08.16 के द्वारा काराओं में ई० निविदा का वार्षिक / त्रैमासिक निविदा प्रकाशन हेतु राज्य के सभी केन्द्रीय कारा / मंडल कारा एवं उपकारा अधीक्षकों को पत्राचार किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पत्र के प्रारूप में बदलाव / संशोधन करते हुये कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्र सं०–2514 / जेल, दिनांक–26.08.2019 के द्वारा निविदा प्रारूप के खण्ड–1 में निविदा दाताओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ–साथ कारा अथवा किसी अन्य सरकारी प्रतिष्ठान में 03 वर्षों का कार्यानुभव एवं आपूर्ति का अनुभव होने का मापदण्ड उल्लेखित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में उल्लिखित पत्र के निर्गत होने के पश्चात झारखण्ड राज्य के स्थानीय नये संवेदक निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो रहे है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्र सं०–2569 / जेल, दिनांक–19.08.2016 के आलोक में राज्य के काराओं में ई०–निविदा प्रक्रिया को पुनः बहाल करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कारा एक संवेदनशील संस्था है। जहाँ वांछित सामग्रियों की ससमय, नियमित तथा निरन्तर आपूर्ति के साथ–साथ आकस्मिक आपूर्ति सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है। अनुभवरहित संवेदकों के चयन से नियमित आपूर्ति में कठिनाई हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में पत्रांक–2514 / जेल, दिनांक–26.08.2019 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–04 / का०ब०(वि०स०)–204 / 2020– 1034 / राँची, दिनांक– 01 /03/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–183, दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(02)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय में उपकारा के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2008 में प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित उपकारा के निर्माण हेतु भू अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात हुसैनाबाद प्रखण्ड अंतर्गत देवरीकला ग्राम में भूमि अधिगृहित कर ली गई है, किन्तु अब तक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं की गई है ;	स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद अंचल के ग्राम कुडवा में कुल 14.97 एकड़ सरकारी भूमि इस विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद अनुमंडलीय उपकारा का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि के चाहरदिवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में भवन प्रमण्डल पलामू को ₹ 1.18 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस कार्य के लिए निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कारा भवनों के निर्माण से संबंधित Layout Plan एवं DPR तैयार करने हेतु भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची से पत्राचार किया गया है। DPR प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता के आधार पर अगले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–803/2020–1032 / राँची, दिनांक– 29/02/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–192, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(4)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 की उत्तर सामग्री:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पिपरवार थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह द्वारा टी०पी०सी० सुप्रीमो ब्रजेश गंझू सहित लगभग 77 अभियुक्तों के विरूद्ध पिपरवार थाना में कांड सं०–36/2019 के तहत मामला दर्ज कर उनके द्वारा संचालित अवैध कनेटी बनाकर अवैध वसूली करने, टी०पी०सी० उग्रवादियों को टेरर फंडिंग करने सहित कई तरह के आरोप लगाकर इनके बैंक खातों की जानकारी देकर कार्रवाई करने की अनुमति माँगी गई थी;	थाना प्रभारी पिपरवार द्वारा टी०पी०सी० सुप्रीमो ब्रजेश गंझू तथा अन्य 77 के विरूद्ध दिनांक–15.09.2019 को IPC की धारा–385/386/387/120(बी०), CLA की धारा 17(i)(ii) तथा UAP Act की धारा–16/17/20/23 के तहत कांड सं०–36/2019 दर्ज किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि टंडवा थाना कांड सं०–36/19 के नामजद अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है;	कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त–1. विगन भोक्ता, पे०–स्व० तुलसी गंझू, सा०–जामडीह एवं 2. धनराज भोक्ता उर्फ मिठ्ठू, पे०–स्व० मंगल भोक्ता, सा०–बरवाटोला, दोनों थाना–पिपरवार, जिला–चतरा को दि०–15.09.19 को, 3. सुरेश गंझू, पे०–ननका गंझू, सा०–विजन, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा को दि०–06.11.19 को एवं 4. प्रभात कुमार गंझू उर्फ माधा गंझू, सा०–बेती, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा को दि०–21.01.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकी अभियुक्त–1. रोहन गंझू, पे०–चरका गंझू, सा०–बेती, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा को पिपरवार थाना कांड सं०–57/18, दि०–21.09.18 एवं 2. राजेश गंझू, पे०–डुबर गंझू, सा०–पाहनटुंगरी, थाना–पिपरवार, जिला–चतरा को पिपरवार थाना कांड सं०–36/18, दि०–07.06.18 से इस कांड में रिमांड किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वतंत्र जाँचकर दोषी पुलिस पदाधिकारियों तथा खण्ड–2 के अभियुक्तों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके अवैध सम्पत्ति को जब्त कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–08/वि०स०(04)–02/2020–1035/ राँची, दिनांक– 01/03/2020 ई०

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–59, दिनांक–20.02.2020 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

05

दिनांक 02.03.2020 को श्री सरयू राय, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–म–01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के दौरान प्रभात फेरी निकालने वाले राज्य के स्कूली बच्चों के बीच बाँटने के लिए करीब 5 लाख टी–शर्ट की खरीद कुडु फेब्रिक्स, विधान रोड, लुधियाना, पंजाब से की गई थी।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 1. वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के दौरान प्रभात फेरी निकालने वाले राज्य के स्कूली बच्चों के बीच बाँटने के लिए कुडु फेब्रिक्स, राहों रोड, लुधियाना, पंजाब से कुल 4,97,600 टी–शर्ट की खरीद की गई थी।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त करीब 5 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के टी–शर्ट की खरीद कुडु फेब्रिक्स, विधान रोड, लुधियाना, पंजाब से बिना निविदा निकाले की गई थी ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 1. विदित हो कि समयाभाव एवं आपूर्ति किये जाने वाले टी–शर्ट की संख्या एवं निविदा के माध्यम से ससमय क्रय किये जाने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए कुडु फेब्रिक्स, राहों रोड, लुधियाना, पंजाब का उपयुक्तता एवं सक्षमता के आधार पर मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए पांच लाख टी–शर्ट की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था। स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में मनोनयन के आधार पर चयन करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के अधीन शिथिल करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई है।
3. क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी मात्रा में टी–शर्ट की आपूर्ति किन वाहनों से लुधियाना से झारखण्ड के विभिन्न स्थलों तक हुई और किस विद्यालय में कितने टी–शर्ट किस माध्यम से भेजे गये, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 1. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि – i) कुडु फेब्रिक्स, राहों रोड, लुधियाना, पंजाब के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 12.11.2016 को रांची में 156 बंडल (1,87,200 टी–शर्ट), दिनांक 13.11.2016 को जमशेदपुर में 26 बंडल (26,000 टी–शर्ट) एवं धनबाद में 46 बंडल (55,200 टी–शर्ट) तथा दिनांक 14.11.2016 को रांची में 191 बंडल (2,29,200 टी–शर्ट) अर्थात कुल 4,97,600 टी–शर्ट की आपूर्ति की गई **(विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I)**।

	ii) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के ज्ञापांक–JEPC/571,दिनांक 29.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची द्वारा वितरण कार्य हेतु जिला स्कूल, रांची के परिसर में व्यवस्था की गई। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये टी–शर्ट को दिनांक 12.11.2016 एवं 14.11.2016 को जिलों से आये प्रतिनिधियों को वितरित किया गया। जिलों द्वारा सामग्री अपने वाहन एवं खर्च पर अपने जिलों में ले जाया गया। विभिन्न तिथियों को जिलावार वितरित किये गये टी–शर्ट की विवरण **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अनियमितता की जाँच तथा दोषी अधिकारियों एवं आपूर्तिकर्त्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में वर्णित है।

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

ज्ञापांक – म0म0स0–05 / सं0कार्य0–141 / 2017 317 रांची, दिनांक– 29.02.2020 ई0।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय /अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–71, दिनांक 20.02.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/20

(नीलम लता)
सरकार के उप सचिव

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी,
डोरण्डा, राँची - 834 024
☎0651- 2412028, Fax: 0651-2410528
e-mail : jepcranchi1@gmail.com : Web:-jepc.nic.in

(36)

अनुलग्नक-I

Receiving of T-Shirts

Received 419 Bundles of T-Shirts from M/s Kudu Fabrics, Rehan Road, (Turn Gahlewali), Ludhiana, Punjab, Pin- 141007 through his authorised representative Mr Prakash Sharma for free distribution amongst selected school children of all the 24 district of Jharkhand on the eve of Sthapna Diwas-2016. The details of T-Shirts received are as follows:-

1. Dated 12.11.2016 at Ranchi	: 156 bundel (each containing 1200 T-Shirt) = 187200 nos.
2. Dated 13.11.2016 at Jamshedpur	: 26 bundel (each containing 1000 T-shirt) = 26000 nos
3. Dated 13.11.2016 at Dhanbad	: 46 bundel (each containing 1200 T-shirt) = 55200 nos
4. Dated 14.11.2016 at Ranchi	: 191 bundel (each containing 1200 T-shirt) = 229200 nos
TOTAL	**: 419 bundel (containing 497600 T-Shirt)**

Four Lakh Ninety Seven Thousand Six Hundered only

Date : 14.11.2016

14/11/2016
(Ratan Shrivastava)
Nodal Officer, JEPC, Ranchi
Dir. Jharkhand Education Project Council, R

Staphna Diwas-2016

Distribution of T-Shirts & Toffee Packets to Districts

S.No	District	No of Schools	T-Shirts Distributed on diffarant dates					Toffee Packet (Each packet containing 500pcs)		
			12.11.2016	13.11.2016	13.11.2016	14.11.2016	Total	13.11.2016	14.11.2016	Total
1	Bokaro	1778	0	0	17000	7000	24000	0	40	40
2	Chatra	1903	12000	0	0	7000	19000	0	40	40
3	Dhanbad	1882	0	0	18200		18200	0	50	50
4	Giridih	3477	0	0	20000		20000	0	60	60
5	Hazaribagh	1641	15000	0	0	12000	27000	0	40	40
6	Koderma	755	0	0	0	17000	17000	0	35	35
7	Ramgarh	721	0	0	0	15000	15000	0	35	35
8	Deoghar	2128	20000	0	0	0	20000	0	40	40
9	Dumka	2508	25000	0	0	0	25000	0	50	50
10	Godda	1802	17000	0	0	0	17000	0	40	40
11	Jamtara	1203	15000	0	0	0	15000	0	40	40
12	Pakur	1061	15000	0	0	0	15000	0	40	40
13	Sahebganj	1511	17000	0	0	0	17000	0	40	40
14	Palamu	2711	15000	0	0	10000	25000	0	50	50
15	Latehar	1282	12000	0	0	9500	21500	0	40	40
16	Garhwa	1555	17000	0	0	9500	26500	0	40	40
17	Gumla	1861	5000	0	0	17000	22000	0	40	40
18	Ranchi	2807	2200	0	0	30000	32200	0	60	60
19	Lohardaga	657	0	0	0	20000	20000	0	40	40
20	Khunti	1043	0	0	0	16000	16000	0	40	40
21	Simdega	1147	0	0	0	17000	17000	0	40	40
22	East singhbhum	2055	0	16000	0	10000	26000	35	0	35
23	West singhbhum	2289	0	0	0	22000	22000	35	0	35
24	Saraikela-Kharsawan	1751	0	10000	0	10200	20200	30	0	30
TOTAL			187200	26000	55200	229200	497600	100	900	1000

(6)

श्री लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार, पेटरवार एवं गोमिया अंचलों में सूखाराहत मद की करोड़ों रूपये अवितरीत एवं अव्यवहृत होने से किसानों को अनेकानेक आर्थिक समस्याओं से जुझना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सूखा राहत मद की राशि किसानों के हित में अविलम्ब वितरण करने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2018–19 में सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के फलस्वरूप आवंटनादेश सं०–30(आ०), दिनांक–12.09.2019 द्वारा बोकारो जिला को कुल–6,55,50,587/– (छः करोड़ पचपन लाख पचास हजार पाँच सौ सतासी) रूपये मात्र की राशि आवंटित की गई है। उपायुक्त, बोकारो के आदेश सं०–2999, दिनांक–14.10.2019 द्वारा कसमार अंचल को 65,02,228/– (पैंसठ लाख दो हजार दो सौ अट्ठाइस), पेटरवार अंचल को 48,92,015 (अड़तालीस लाख बानबे हजार पन्द्रह) एवं गोमिया अंचल को 1,06,64,590/– (एक करोड़ छः लाख चौंसठ हजार पाँच सौ नब्बे) रूपये की राशि उपावंटित की गई है। कसमार अंचल के 699 लाभुकों, पेटरवार अंचल के 1874 लाभुकों एवं गोमिया अंचल के 1811 लाभुकों को DBT के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–03/2020–160/आ०प्र०, दिनांक– 01–03–2020

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–03/2020–160/आ०प्र०, दिनांक– 01–03–2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–61 दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

1/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

H:\Lambodar Mahto.doc

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड अन्तर्गत निंदरा ग्राम, चन्दवा थाना से 20 कि०मी० दूरी पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चन्दवा थाना से काफी दूरी होने के कारण उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम के आस–पास जंगल में उग्रवादी कहीं भी घटना को अंजाम देकर उसी क्षेत्र में छुपे रहते है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	निंदरा ग्राम चन्दवा थाना से लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, परन्तु मैक्लुस्कीगंज थाना से इसकी दूरी लगभग 07 कि०मी० है, जहाँ से इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा रहा है। इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों की आसूचना प्राप्त होने पर लातेहार जिला पुलिस एवं राँची जिला पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। सम्प्रति निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–05/2020-1081/ राँची, दिनांक–29/02/2020।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–192, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

08

श्री सरयू राय, माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या वाणि 01 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 के अवसर पर प्रभात फेरी निकालने के लिए राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच चॉकलेट वितरण करने हेतु सिदगोड़ा, जमशेदपुर की एक व्यवसायी फर्म "लाला इन्टरप्राईजेज" से बिना निविदा के करीब 33 लाख 61 हजार रूपये की चॉकलेट खरीदी गयी थी, जिसपर वाणिज्य–कर (VAT) का भुगतान संबंधित फर्म ने नहीं किया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वाणिज्य–कर उपायुक्त, जमशेदपुर अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2020 के अनुसार सर्वश्री लाला इन्टरप्राईजेज, टिन–20600808882, सिदगोड़ा, जमशेदपुर के द्वारा झारखण्ड स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर जिला उपायुक्त, राँची को माह नवम्बर 2016 में कुल 33,61,125.00 रूपये के चॉकलेट की आपूर्ति की गई है जिसमें 14.5% की दर से 4,24,125.00 रूपये कर की राशि शामिल है।
क्या यह बात सही है कि "लाला इन्टरप्राईजेज" पर वाणिज्य–कर (VAT) का भुगतान नहीं करने के लिए वाणिज्य–कर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	व्यवसायी फर्म द्वारा विवरणी में दर्शायी गई बिक्री के विरूद्ध देय वैट का भुगतान किया गया है।
क्या यह बात सही है कि "लाला इन्टरप्राईजेज" द्वारा आपूर्ति किए गए चॉकलेट किस ब्रांड के थे और उन्हें कहा से खरीदा गया था, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है ;	सर्वश्री लाला इन्टरप्राईजेज, जमशेदपुर द्वारा आपूर्ति किए गए चॉकलेट Anand Candy, Mix Candy jar, Masalchi Packets, Eclairs packets, Eclair Jar, Red eclairs packets आदि ब्रांड के हैं जो सर्वश्री माँ लक्ष्मी भंडार, जुगसलाई, जमशेदपुर, टिन–20581100355 से खरीदा गया था।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आपूर्तिकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वाणिज्य–कर अंचल, जमशेदपुर के पदाधिकारियों द्वारा मामले की जाँच की गई है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा विवरणियाँ दाखिल करते हुए देय वैट का भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक–वा0 कर/वि.मं./1/2020–689 /राँची, दिनांक–29/02/20

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उत्तर की 200 प्रतियाँ उनके ज्ञाप संख्या 70 दिनांक 20.02.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/2020
(शिवचन्द्र भगत)
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

09

(14)

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–02 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के गोमिया प्रखण्ड के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत चतरोचट्टी एवं महुआटांड थाना क्षेत्र के कण्डेर एवं कसमार प्रखण्ड का पिरगुल में कोई सरकारी बैंक का शाखा कार्यरत नहीं है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में कोई भी सरकारी बैंक का शाखा नहीं होने से वहाँ के हजारों लोगों को वित्तीय लेन–देन में/ वित्तीय सहायता प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ इंडिया, राँची का पत्रांक 278 दिनांक 26.02.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि गोमिया प्रखण्ड के सुदूरवर्ती चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत चतरोचट्टी में 08 बैंक बी0सी0, महुआटांड थाना क्षेत्र के कण्डेर में 14 बैंक बी0सी0, एवं कसमार प्रखण्ड के पिरगुल में 11 बैंक बी0सी0 द्वारा बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरोचट्टी, कण्डेर एवं पिरगुल में किसी सरकारी बैंक का शाखा खोलना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	चतरोचट्टी, कण्डेर एवं पिरगुल क्षेत्र मे विभिन्न बैंकों के कुल 33 बैंक बी0सी0 (Banking Correspondent) के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय सहायत प्रदान की जा है।

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:10 / वि0स0(4)05 / 2020: 80 / राँची, दिनांक: 27.02.2020 /

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–189 / वि0स0 दिनांक 23.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2020

(अमरेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

10

माननीय स०वि०स० मथुरा प्रसाद महतो द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० का–01 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड के ग्रामीण अपने कार्य हेतु प्रखण्ड कार्यालय में जाते है;	स्वीकारात्मक
(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य का निष्पादन समय पर नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्ड कार्यालय में विभाग से संदर्भित पद प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी का है। वर्तमान में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल 293 पदों के विरूद्ध मात्र 18 पदाधिकारी कार्यरत है। रिक्त 275 पदों को भरने हेतु 123 पदों पर सीधी नियुक्ति तथा 73 पदों पर पंचायत सचिव की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु अभियाचना प्रेषित है। 73 पदों पर अन्यथा योग्य पंचायत सचिव की योग्यता–सह– वरीयता आधारित प्रोन्नति प्रक्रियाधीन है। नियुक्ति के पश्चात प्रखण्डों में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी का नियमित पदस्थापन किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०)–29/2020–362–/, राँची, दिनांकः–28.2.2020

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 43 दिनांक 19.02.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2020
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०)–29/2020–362–/, राँची, दिनांकः–28.2.2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

28/02/2020
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि०)–29/2020–362–/, राँची, दिनांकः–28.2.2020

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 806 (अनु०) दिनांक 24.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/02/2020
सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि राज्य के लोहरा जाति के नागरिकों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था;	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में लोहरा जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है;	अस्वीकारात्मक।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की तरह लोहरा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लोहरा जाति झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 21 पर सूचीबद्ध है। उक्त सूची में सूचीबद्ध जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार निर्गत किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–03 / 2020 का0– 1599 /रांची, दिनांक 28.2.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या– 194 / वि0स0, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2020

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(12)

श्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–02 की उत्तर सामग्री:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग के बड़कागाँव थाना अन्तर्गत ग्राम धीरूडीह एवं ग्राम ढ़ेगा में एन०टी०पी०सी० के द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों के द्वारा किसान आंदोलन तथा कफन सत्याग्रह किया जा रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा किये गये लाठी एवं गोली चार्ज के अलग–अलग घटनाओं में कुल 11 लोगों को पुलिस द्वारा गोली मारी गयी थी, जिसमें चार किसानों की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त गोली कांड में मारे गये पीड़ितों एवं उनके परिजनों के द्वारा बड़कागाँव थाना कांड संख्या–211/16, 212/16, 213/16, 214/16, 68/18, 247/16, 106/18 तथा 141/18 के तहत पुलिस तथा कम्पनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. उल्लेखनीय है कि दिनांक–14.08.15 को भूतपूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव एवं तत्कालीन विधायक श्रीमती निर्मला देवी द्वारा स्थानीय गुरूदयाल महतो बालिका उच्च विद्यालय बड़कागाँव में किसान महारैली का आयोजन बिना जिला प्रशासन से अनुमति के किया गया था। उक्त रैली में श्री योगेन्द्र साव एवं श्रीमती निर्मला देवी के द्वारा प्रशासन एवं एन०टी०पी०सी० के विरूद्ध भड़काऊ भाषण दिया गया, जिससे भीड़ उत्तेजित होकर स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं पुलिस बल पर पत्थरबाजी करते हुए अग्नेयास्त्रों से हमला कर दिया। इसमें कई पुलिस पदाधिकारी एवं जवान घायल हो गये। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने एवं आत्मरक्षार्थ पुलिस बल के द्वारा फायरिंग की गयी। उक्त घटना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, हजारीबाग के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर बड़कागाँव थाना कांड सं0–167/15 पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव एवं अन्य 64 नामजद तथा 1500–2000 अज्ञात बलबाईयों के विरूद्ध दर्ज किया गया। इस कांड के 23 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। 2. उक्त कांड के प्रतिलोम में बड़कागाँव थाना कांड सं0–211/16, 212/16, 213/16, 214/16 एवं 68/18 दर्ज कराया गया। उक्त सभी पाँचों कांडों में अनुसंधानोपरांत अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चूका है। 3. पुनः वर्ष 2016 में दिनांक–10.09.16 से बड़कागाँव थाना अंतर्गत चिरूडीह बरवाडीह में एन०टी०पी०सी० के द्वारा किये जा रहे खनन कार्य के विरोध में भूतपूर्व मंत्री श्री योगेन्द्र साव एवं पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी द्वारा कफन सत्याग्रह आन्दोलन चलाया जा रहा था। दिनांक–15.09.16 को जिला प्रशासन द्वारा खनन क्षेत्र के करीब 200 मीटर के क्षेत्र में धारा–144 लागू किया गया, परंतु इसके बावजूद आंदोलनकारी वहाँ से नहीं हटे तथा उनके द्वारा खनन कार्य रोक दिया गया। इस संबंध में बड़कागाँव थाना कांड सं0–225/16 एवं 226/16 दर्ज किया गया। दिनांक–01.10.2016 को धारा 144 लागू किये गये क्षेत्र में पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी को धरना पर नहीं बैठने का प्रशासन के द्वारा अनुरोध किया गया परंतु वे धरना पर बैठ गयी। महिला पुलिस के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस पर बेकाबू भीड़ ने हरवे–हथियार से लैस होकर उपस्थित पदाधिकारियों एवं पुलिस बल पर हमला कर दिया। उपद्रवियों द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र से फायरिंग की जाने लगी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, अभियान, अंचलाधिकारी, इनके बॉडीगार्ड एवं अन्य कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गये। आत्मरक्षार्थ एवं बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल के द्वारा फायरिंग की गई। घटना के पश्चात् में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 1. मो0 महताब, पे0–मुजीम अंसारी, सा0–चेपाखूर्द, थाना–बड़कागाँव , 2. रंजन कुमार दास, पे0–काशीनाथ राम, सा0–सिंदवारी, 3. पवन कुमार साव, पे0–मखीरन साव, 4. अभिषेक

		कुमार राय, पे0–पवन कुमार राय, दोनों सा0–सोनवर्षा सभी थाना–बड़कागाँव, जिला–हजारीबाग की मृत्यु गोली लगने से हो गयी। 4. उक्त घटना के आलोक में श्री कुलदीप कुमार ए0एस0पी0, अभियान, हजारीबाग के फर्द ब्यान के आधार पर बड़कागाँव थाना कांड संख्या–228 / 16 दर्ज किया गया, जिसमें कुल 7 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी है। जिसके प्रतिलोम में बड़कागाँव थाना कांड सं0–247 / 16, 106 / 18 एवं 141 / 18 माननीय न्यायालय में दायर कोर्ट परिवाद के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधानोपरांत उक्त तीनों कांडो में अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल समर्पित किया जा चूका है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब किसानों को न्याय दिलाने हेतु एक न्यायिक जाँच कमेटी बनाकर इस मामले की जाँच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस मामले में नई जाँच समिति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08 / वि0स0(04)–03 / 2020 1037 / राँची, दिनांक– 01 / 03 / 2020 ई0

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–181, दिनांक–22.02.2020 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

17

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2017 में विज्ञापन निकालकर धनबाद जिला में गृह रक्षा वाहिनी में अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है ;	धनबाद जिला के गृह रक्षकों का नवनामांकन प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि नव नियुक्त गृह रक्षा वाहिनी में चयनित हुए अभ्यर्थियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ;	उक्त नवनामांकन प्रक्रिया में कतिपय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुए है, जिसकी जांच महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, झारखण्ड, राँची द्वारा कराई जा रही है। जांचोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नव नियुक्त गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07 / वि०स० (सत्र)–02 / 2020–1033 / राँची, दिनांक– 29/02/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–44, दिनांक–19.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(14)

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–02.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–07 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडल की स्थापना वर्ष–1994 में हो चुकी है, परंतु आज तक वहाँ व्यवहार न्यायालय की स्थापना नहीं होने के कारण आमजनों को न्याय पाने के लिए मीलों दूर जिला मुख्यालय, हजारीबाग जाना पड़ता है।	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–2156 दिनांक–20.09.2017 द्वारा बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी स्तर का 01 (एक) एवं न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के 01 (एक) न्यायालय का गठन हो चुका है, जो आधारभूत संरचना उपलब्ध होने तक हजारीबाग में बैठेंगे।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में बरही अनुमंडल मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	:–	बरही अनुमंडल में उपरोक्त न्यायालयों के गठनोपरांत न्यायालय भवन (आधारभूत संरचनाओं सहित) के निर्माण के लिए अग्रेतर कार्रवाई भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग से विधि विभागीय पत्रांक–2262 दिनांक–11.10.2017, पत्रांक–2470 दिनांक–10.11.2017 एवं पत्रांक–39 दिनांक–08.01.2018 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, सम्प्रति जवाब अप्राप्त है।

झारखंड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–प्र0/विधि–विसप्र–04/2020–235 /जे0 राँची, दिनांक–25 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–195–वि0स0 दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

25.2.2020

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

15

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लागु स्थानीयता नीति से राज्य के खतियानी– रैयती युवाओं को नियोजन में सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि वर्तमान में गिरिडीह जिला के वासियों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, जहाँ गैर खतियानी आबादी 5% से भी कम है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीयता नीति में आवश्यक सुधार करने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका–3 का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–01 / 2020 का0– 161 / रांची, दिनांक 28-2-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या– 67 / वि0स0, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(16)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवास कर रहे "किसान जाति" के उपजाति अन्तर्गत "हलधर चासठ जाति" का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं रहन–सहन अनुसूचित जनजाति के समतुल्य है;	"हलधर चासठ" जाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं रहन–सहन का अनुसूचित जनजाति के समतुल्यता के बिन्दु पर "डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्रतिवेदन प्राप्त की गयी है। संस्थान के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा "हलधर चासठ" जाति का अध्ययन नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जाति के समतुल्य बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 की 6वीं अनुसूची के क्रमांक 18 पर "किसान" एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम–2002 के द्वारा प्रविष्टि में उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम–2002 के द्वारा "नगेशिया" जाति को झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 18 पर "किसान" के बाद समावेशित किया गया है। "हलधर चासठ" जाति झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–05 / 2020 का0–1600 / रांची, दिनांक 28.2.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–297 / वि0स0, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 28/2/2020

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(17)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 की उत्तर सामग्री:–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में माह– नवम्बर–2019 में संज्ञेय अपराध की कुल घटनाएँ 4,204 (चार हजार, दो सौ चार) थी;	नवम्बर–2019 में संज्ञेय अपराध की कुल 4,502 (चार हजार पाँच सौ दो) घटनायें प्रतिवेदित है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत दो माह– दिसम्बर, 2019 एवं जनवरी, 2020 में संज्ञेय अपराध के मामलों में महीने दर महीने बढ़ोतरी हुई है;	दिसम्बर, 2019 में 4564 तथा जनवरी, 2020 में 5255 संज्ञेय अपराध की घटना प्रतिवेदित है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य बनने के बाद सुनियोजित तरीके से सामुहिक नरसंहार की बड़ी घटना सिंहभूम जिले के गुदरी प्रखण्ड के ग्राम– बुरूगुलीकेरा में पत्थलगड़ी को लेकर घटना घटित हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस मामले में गुदड़ी थाना अंतर्गत कांड सं0–03/20 एवं कांड सं0–04/20, दि०–22.01.2020 दायर किया गया, जिसमें कांड सं0–03/20 के अंतर्गत कुल 10 प्राथमिकी एवं 07 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कांड का उद्भेदन एवं अभियुक्तों की संलिप्तता हेतु एस०आई०टी० का गठन कर अनुसंधान किया जा रहा है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।
4.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के टुंडी प्रखण्ड के पास मरण्डी, गुमला जिले के जैरागी गाँव में गणेश साहू, गोड्डा जिले के राजमहल परियोजना के निजी कम्पनी के प्रबंधक समेत प्रदेश के विभिन्न जगहों पर हत्या एवं हत्या का प्रयास नक्सलियों द्वारा किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया थाना कांड सं0–07/20, दि०–24.01.2020 वादी हीरालाल मांझी, पे0–स्व0 किन्नी राम मांझी, सा0–पिण्ड्रा, थाना–गोमियाँ, जिला–बोकारो के फर्द बयान पर सदानन्द इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० कंपनी के मुंशी रमेश मांझी को गोली मारकर हत्या करने एवं सड़क निर्माण में लगे जेसीबी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल में डीजल छिड़ककर आग लगा देने के आरोप में 07 प्राथमिकी एवं 08 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। 2. गुमला जिलान्तर्गत डुमरी थाना कांड सं0–01/20, दि०–16.01.2020 ग्राम–जैरागी में दि०–06.01.2020 को अपराधियों द्वारा गणेश साहू की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के पश्चात मृतक की पत्नी वादिनी रेखा देवी, पति–स्व0 गणेश साहू के आवेदन के आधार पर 05 अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। यह कांड नक्सली कांड नही है। 3. गोड्डा जिला के राजमहल परियोजना में नक्सलियों द्वारा कोई हत्या या हत्या का प्रयास नहीं किया गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कदम उठाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रतिवेदित कांडों की संख्या में बढ़ोतरी पुलिस की संवेदनशीलता एवं तत्परता को भी दर्शाता है। उपरोक्त घटित सभी कांडों में पुलिस अनुसंधान कर रही है। कई गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं तथा शेष अभियुक्तों के पहचान एवं गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गुदड़ी थाना अंतर्गत ग्राम– बुरूगुलीकेरा में घटित घटना के बाद वहां अस्थाई रूप से पिकेट का निर्माण कर अतिरिक्त सुरक्षा बल कैम्प कर रही है। संपूर्ण इलाके में सुरक्षा की भावना लाने हेतु अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध लगातार छापामारी एवं निगरानी रखी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–08/वि0स0(04)–04/2020:–1036 / राँची, दिनांक– 01/03/2020.ई0

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–182, दिनांक–22.02.2020 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(18)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के काराओं में दैनिक भत्ता पर वीडियों कॉन्फेन्सींग ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/सफाई कर्मी/ड्राईवर कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित दैनिक भोगी कर्मी कारा में कार्य करने का अनुभव तथा दक्षता रखते है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कारा में रिक्त पदों के विरूद्ध दैनिक भत्ता पर कार्यरत अनुभव प्राप्त वीडियों कॉन्फेन्सींग ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/सफाई कर्मी/ड्राईवर को नियमित करते हुए नियोजित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०–1348, दिनांक–13.02.2015 द्वारा अधिसूचित नियमावली में राज्य सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की प्रक्रिया तथा शर्त्तों का निर्धारण किया गया है। अधिसूचना सं0–4871 दिनांक–20.06.2019 द्वारा इस नियमावली में कतिपय संशोधन भी किये गए है। इन कर्मियों के नियमत्तीकरण के प्रस्ताव की समीक्षा उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में की जा रही है। एक माह के अंदर इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–02/2020– 1088 /   राँची, दिनांक–01/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–58, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(19)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सी0सी0एल0 क्षेत्र में रहनेवाले निवासियों को न तो जाति प्रमाण–पत्र और ना ही आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते है ;	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में रहनेवाले व्यक्तियों को आवास प्रमाण–पत्र बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी सी0सी0एल0 द्वारा जारी नहीं किये जा रहे है, जिससे आम नागरिकों में भारी आक्रोश एवं मायूसी छायी हुई है ;	अस्वीकारात्मक। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सी0सी0एल0 से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
03.	क्या यह बात सही है कि इन सी0सी0एल0 क्षेत्रों में रहनेवाले नागरिकों को आवासीय आदि प्रमाण–पत्र नहीं मिलने से उनके बच्चे सरकारी नौकरियों से वंचित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में सी0सी0एल0 क्षेत्रों में रहनेवाले नागरिकों को उपर वर्णित प्रमाण पत्र अविलम्ब जारी करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1, 2 एवं 3 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका–4 का कोई औचित्य नही है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–02 / 2020 का0– 1540 / रांची, दिनांक 27-2-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–64 / वि0स0, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2020
(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(20)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा चलते / अगामी अधिवेशन में दिनांक 02.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– योवि–01 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विधानसभा के चतुर्थ विधान सभा के प्रथम बजट सत्र के वित्तीय वर्ष 2014–15 में सरकार का राज्य कोष खाली था ?	**अस्वीकारात्मक।** राज्य का राजकोष कभी खाली नहीं रहता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड के वित्त लेखा के अनुसार कुल प्राप्तियाँ रू. 38,287.73 करोड़ था।
(2.) क्या यह बात सही है कि पंचम विधान सभा के सरकार गठन के बाद राज्य की सभी तरह की आधारभूत संरचना हेतु निरतारित निविदा समेत एकरारनामा कार्यों पर सरकार ने रोक लगा दी है?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** मुख्य सचिव के पत्रांक 3359 दिनांक 24.12.2019 द्वारा नई सरकार के विधिवत गठन होने तक सभी स्तरों पर किसी भी प्रकार की नई योजना अथवा कार्य की स्वीकृति को कुछ अवधि के लिए स्थगित रखा गया था, जिसे पत्रांक 496 / वि. दिनांक 19.02.2020 के द्वारा वापस ले लिया गया है।
(3.) क्या यह बात सही है आधारभूत संरचना जैसे कार्यों में अवरोध से राज्य की विकास दर में कमी आती है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य की बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, व्यवसाय समेत अन्य कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।	**अस्वीकारात्मक।** संबंधित स्थगन आदेश कुछ अवधि के लिए ही प्रभावी था, जिस वापस ले लिया गया है।
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार G.S.D.P. बढ़ाने के लिए वैसी सभी पुरानी स्वीकृत योजनाओं को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्त विभागीय पत्रांक 496 / वि. दिनांक 19.02.2020 के द्वारा कार्य की स्वीकृति एवं भुगतान पर लगाये गये स्थगन आदेश को वापस ले लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि०स० (4)–04 / 20 ...1145 / वि०, ... रॉची / दिनांक 28/02/20

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 69 / वि०स०, दिनांक 20.02.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।